[2013] 8 S.C.R. 208

विकास

बनाम

राजस्थान राज्य

(दाण्डिक अपील संख्या 1190/2013)

16 अगस्त 2013

[न्यायमूर्ति, एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति, एम.वाई. इकबाल]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 319 - लड़की का अपहरण - तीन अभियुक्त - अभियोजन साक्षी 4 ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अपीलकर्ता के विचारण के लिए धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दायर किया - विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया और अपीलकर्ता को अजमानतीय वारंट निर्गत करके तलब किया - अपीलकर्ता ने अजमानतीय वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दायर किया - विचारण न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई - क्या धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में अपीलकर्ता की उपस्थिति को गैर जमानीय वारण्ट के बजाय केवल समन या जमानती वारंट निर्गत करके सुनिश्चित किया जा सकता था - अभिनिर्धारित : धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिक सावधानी बरतने की मांग करती है क्योंकि यह एक असाधारण शक्ति प्रदान करती है और न्यायालय द्वारा इसका उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए जिससे विधि के शासन के नियम के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जा सके और आपराधिक विधिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन न हो - अपीलकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन और जमानती वारंट के अन्य तरीकों का उपयोग किए बिना प्रथम बार में अजमानतीय वारंट निर्गत करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास करता है - किसी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए अजमानतीय वारंट तब निर्गत किया जाना चाहिए जब समन या जमानती वारंट से वांछित परिणाम मिलने की संभावना न हो - परिवाद के मामलों में सभी परिस्थितियों में न्यायालय को पहले समन या जमानती वारंट निर्गत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके असफल होने पर अजमानतीय वारंट निर्गत किया जाना चाहिए। - निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता के विरूद्ध अजमानतीय वारंट के बजाय उसकी उपस्थिति के लिए समन निर्गत किया जाए - दंड संहिता, 1860- धारा 363, 366 और 376

इंदर मोहन गोस्वामी, 2007 12 SCC 1: 2007 (10) SCR 847; रघुवंश दीवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। (2012) 9 SCC 791: 2007 (10) SCR847 राज्य उ.प्र. बनाम पूसु और अन्य, 1976 3 SCC 1: 1976 (3) SCR 1005 संदर्भित।

निर्दिष्ट निर्णयज विधि :

2007 (10) SCR 847	संदर्भित	पैरा 14
2007 (10) SCR 847	संदर्भित	पैरा 14
1976 (3) SCR 1005	संदर्भित	पैरा 15

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील संख्या 1190 सन 2013

विविध आपराधिक याचिका संख्या 1080 सन 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 04.04.2013 के विरूद्ध

सुशील कुमार. जैन, पुनीत जैन, अनस एम. रियाज, प्रतिभा जैन अपीलार्थीगण की ओर से

डॉ मनीष सिंघवी, एएजी, इरशाद अहमद ।प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

1. इजाजत दी गई ।

2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा एसबी (SB) में विविध क्रिमिनल याचिका संख्या 1080/2013 में पारित आदेश दिनांकित 4 अप्रैल, 2013,के विरूद्ध

निर्देशित है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में, "द. प्र. सं. ") के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं: - घटना दिनांक 01.12.2011 को लगभग 4.00 बजे प्रातः घटित हुई, परिवादी ने सिंघाना, जिला झुंझुनू में पुलिस स्टेशन के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवादिनी की पुत्री सोनू अभियोजन साक्षी 5 , का अपहरण देशराम, विकास, रवि कुमार और अमित कुमार नामक अभियुक्त व्यक्तियों ने कर लिया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियोजन साक्षी 5, अपने घर से बाहर गई थी, जब अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर उसका बलात् अपहरण करने की साजिश रची और उसी के अनुसरण मेंअभियोजन साक्षी -5 का अपहरण कर लिया।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात , अन्वेषण अभिकरण ने अभियुक्त अमित कुमार (अभियक्त 1) के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में " भा. द. सं, ") की धारा 363 , 366 और 376 के अंतर्गत अपराध के लिए , और रवि कुमार (अभियक्त 2) और अजीत (अभियक्त 3) के विरूद्ध धारा 363 , 366(क) और 120 ख के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। इसके पश्चात , विचारण न्यायालय ने क्रमशः अभियक्त 1, अभियक्त 2 और अभियक्त 3 के विरूद्ध विचारण प्रारंभ किया।

5. विचारण के दौरान, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और A1 के विरूद्ध धारा 363 , 366 और 376 के अंतर्गत और A2 के विरूद्ध धारा 363 , 366 (क) और 120 ख भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विचरित किए। इसके पश्चात , अभियोजन साक्षी 4 ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के साथ-साथ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर अपराध में सम्मिलित होने के लिए विचारण करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

6. विचारण न्यायालय विचारण के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता ने एक अपराध किया है जिसके लिए अपीलकर्ता पर अन्य अभि व्यक्तियों के साथ विचारण किया जा सकता है और इसलिए यहां अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 , 366 (क) , 120 ख और 376 (2) (जी) के अंतर्गत अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया और अजमानतीय वारंट निर्गत करके उन्हें समन किया गया।

7. अजमानतीय वारंट निर्गत होने से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अजमानतीय वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 04.03.13 द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया।

8. विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार के पश्चात विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की.

9. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की सत्यता या अन्यथा है, पर इस अपील में प्रश्न उठाया गया है।

10. वाद के पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट के स्थान पर अजमानतीय वारंट निर्गत किए थे जो उचित नहीं था।

12. हमारे सामने विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या मामले की परिस्थितियों में , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन में अजमानतीय वारंट के स्थान पर केवल समन या जमानती वारंट निर्गत करके अपीलकर्ता की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता था ।

13.दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का परिशीलन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को 'गिरफ्तार' किया जा सकता है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार 'समन' किया जा सकता है , यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने , जो अभियुक्त नहीं है. कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का पहले से ही आरोपित अभियुक्तों के साथ मिलकर विचारण किया जा सकता है। न्यायालय को किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए और उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए जो अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार के लिए मौलिक हैं। यह धारा विचारण न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिक सावधानी बरतने की मांग करती है क्योंकि यह एक असाधारण शक्ति प्रदान करती है और न्यायालय द्वारा इसका उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विधि के शासन के सिद्धांत और दाण्डिक विधिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत दूषित न हों।

14. भारत का संविधान मूल मानक(प्रादर्श) देश की सर्वोपरि विधि है। अन्य सभी विधियां अपनी मूल की व्युत्पत्ति इसी से करते हैं और संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के पूरक और आनुषांगिक हैं। इसलिए, आपराधिक विधि भी अपना स्रोत और संपोषण संविधान से प्राप्त करती है। संविधान, एक ओर, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपने नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति देता है और दूसरी ओर, न्यायाधीशों पर अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करते समय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन के लिए एक कर्तव्य और दायित्व अधिरोपित करता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन और जमानती वारंट के अन्य साधनों का उपयोग किए बिना पहली बार में अजमानतीय वारंट निर्गत करना संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास करेगा। यह स्थिति इंद्र मोहन गोस्वामी ; 2007 12 SCC 1 और रघुवंश दीवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ; (2012) 9 SCC 791 के मामले में निश्चित की चुकी है जिसमें यह संप्रेक्षण किया गया है कि सभ्य राष्ट्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य का हित सभी मानवाधिकारों में सबसे अधिक मूल्यवान है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776, पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा 1789, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 सभी एक स्वर में बोलते हैं - स्वतंत्रता प्रत्येक मानव प्राणी का प्राकृतिक और अविच्छेद्य अधिकार है। समानतः , हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 यह घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं । अजमानतीय वारंट निर्गत करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप अंतर्वलित है। गिरफ्तारी और कारावास का अर्थ किसी व्यक्ति के सबसे मूल्यवान अधिकार से वंचित होना है । इसलिए , यह मांग करता है कि न्यायालयों को अजमानतीय वारंट निर्गत करने से पहले अत्यधिक सावधान रहना होगा।

15. विचारण न्यायालय के तर्क की जांच करने के क्रम में मामले को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों में समझना होगा। वर्तमान मामले में, उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के उपरांत विचारण न्यायालय को विचारण के दौरान पूर्व से संकलित साक्ष्यों से युक्तियुक्त संतुष्टि पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्तगण , जो विचारण का सामना कर रहे थे , के साथ मिलकर अपराध किया था, और इसलिए यहां अपीलार्थी की उपस्थित के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन पर अजमानतीय वारंट निर्गत किया गया था । वर्तमान मामले

समझने के लिए, 'जमानती अपराध' और 'अजमानतीय अपराध' के अर्थ और उन परिस्थितियों, जिनमें गैर जमानती वारंट निर्गत हो सकता है , पर चर्चा करना प्रासंगिक है ।जमानत के उद्देश्य के लिए विधायी इतिहास में, 'जमानती' और 'गैर-जमानती' शब्द का उपयोग अधिकतर मामलों के दो वर्गों में से एक को औपचारिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। 'जमानती' अपराध जिसमें हर मामले में जमानत का दावा एक अधिकार के रूप में किया जा सकता है , जबकि अजमानतीय अपराधों में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का प्रश्न विधायिका द्वारा न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसे किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का समग्रता के आधार पर विचार करके किया जाना चाहिए ।निस्संदेह, विवेक को परंपरा द्वारा संसूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और सामाजिक जीवन में व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता के अधीन न्यायिक होना चाहिए। न्यायिक विवेक का एक और ऐसा उदाहरण परिवाद मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन पर अजमानतीय वारंट निर्गत करना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति वैवेकिक होने के कारण उसका उपयोग अवश्य ही अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ न्यायिकतः किया जाना चाहिए। वारंट निर्गत करने से पहले न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों को उचित रूप से संतुलन करना चाहिए। वारंट निर्गत करने के लिए कोई सीधा -सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में, जब तक कि किसी आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ या नष्ट करने की संभावना न हो या विधि की प्रक्रिया से बचने की संभावना न हो , अजमानतीय वारंट निर्गत करने से बचा जाना चाहिए। अजमानतीय वारंट निर्गत करने की शर्तों को इंद्र मोहन गोस्वामी (सुप्रा) और यूपी राज्य बनाम पूसु और अन्य 1976 3 SCC 1, के मामले में दोहराया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए अजमानतीय वारंट तब निर्गत किया जाना चाहिए जब समन या जमानती वारंट का वांछित परिणाम मिलने की संभावना न हो ।ऐसा तब हो सकता है जब प्रथमतः यह युक्तियुक्त विश्वास हो कि व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा; या द्वितीयतः यह कि पुलिस अधिकारी तामीला कराने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढने में असमर्थ हैं और तृतीयतः यदि यह विचार है कि यदि उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया तो वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है।उपरोक्तवर्णित कारणों के अभाव में,दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन के अंतर्गत अजमानतीय वारंट निर्गत करने से निश्चयपूर्वक (सुतराम) प्रक्रियात्मक विधि के अस्तित्व का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा जो किसी मामले के विचारण में अभियुक्त के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं।

16. परिवाद के मामलों में सभी परिस्थितियों में न्यायालय को समन या जमानती वारंट निर्गत करने की वरीयता देनी चाहिए, असफल होने पर अजमानतीय वारंट निर्गत करना चाहिए।

17. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए आदेशों को उपांतरित करते हैं, और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता के विरूद्ध उसकी उपस्थिति के लिए अजमानतीय वारंट जो उसके विरूद्ध निर्गत करने का आदेश दिया गया था , के स्थान पर समन निर्गत किया जाए ।

18. दाण्डिक अपील का तदनुसार निस्तारित की जाती है।

तदनुसार आदेश दिया गया।

अनुवादक - ओमवीर सिंह, द्वितीय
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश